रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052026-272681
CG-DL-E-19052026-272681

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2432] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 2026/वैशाख 25, 1948
No. 2432] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 2026/VAISAKHA 25, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2026

का.आ. 2524(अ).— भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम सं. 27) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करती है जो आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. (1) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुसार, इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य, *पदेन* होंगे, नामत:—

क्र.सं.	पदनाम	पद
(क)	केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	समुद्री राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रभारी पत्तन मंत्री	सदस्य
(ग)	पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रभारी मंत्री और अन्य सभी तटीय संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	सदस्य
(घ)	तटीय सुरक्षा से संबंधित भारतीय नौसेना में भारत सरकार के सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय में नामित किया जाएगा	सदस्य

(ङ)	तटीय सुरक्षा से संबंधित भारतीय तटरक्षक बल में भारत सरकार के सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय में नामित किया जाएगा	सदस्य
(च)	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव	सदस्य सचिव

(3) अध्यक्ष परिषद की बैठकों में ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(4) परिषद अपनी बैठकों में ऐसे तरीके से कार्य करेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(5) कोई भी सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निष्पादन के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करेगा।

(6) अध्यक्ष को परिषद के कार्यों के प्रचालन में सामान्य अधीक्षण और निर्देश देने की शक्तियाँ होंगी तथा वह परिषद की ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

3. यह परिषद, अपने कार्यों का निष्पादन इस अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार करेगी।

[फ़ा. सं. पीडी-24015/4/2026-पीडी-I/ई-380046]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2026

S.O. 2524(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Indian Ports Act, 2025 (Act No.27 of 2025), the Central Government hereby establishes, for the purposes of the said Act, a Council to be called the Maritime State Development Council, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. (1) In accordance with sub-section (2) of section 3 of the said Act, the Council shall consist of the following members, *ex-officio*, namely:—

S.No.	Designation	Position
(a)	Union Minister for Ports, Shipping and Waterways	Chairperson
(b)	Ministers-in-charge of Ports of the Maritime States and Union Territories	Members
(c)	The Minister-in-charge of the Union territory of Puducherry and the Administrators of all other coastal Union territories	Member
(d)	An officer equivalent in rank to the Secretary of the Government of India in the Indian Navy dealing with coastal security, to be nominated by the Central Government in the Ministry of Defence	Member
(e)	An officer equivalent in rank to the Secretary of the Government of India in the Indian Coast Guard dealing with coastal security, to be nominated by the Central Government in the Ministry of Defence	Member
(f)	The Secretary to the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Member Secretary

(3) The Chairperson may invite such persons to the meetings of the Council, in such manner and subject to such conditions as may be specified by regulations.

(4) The Council shall transact business at its meetings in such manner as may be specified by regulations.

(5) No member shall receive any remuneration for the performance of its functions under this Act.

(6) The Chairperson shall have the powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Council and shall discharge other powers and functions of the Council as may be assigned to him under this Act.

3. The Council shall perform its functions in accordance with provisions of the Act and rules made thereunder by the Central Government.

[F. No. PD-24015/4/2026-PD-I/E-380046]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.05.19 11:24:40 +05'30'